न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी,जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
26/2021	अपील	09.12.2021	18.05.2022

1 कैलाश पुत्र पन्ना जाति गुर्जर निवासी उमरी तहसील गंगापुर सिटी।

– अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी,।

– रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक:18.05.2022

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा निर्णय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी, तहसील, गंगापुर सिटी, उनवान सरकार बनाम कैलाश मुकदमा नंबर–111/21 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई।

2. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उमरी की रिपोर्ट पर भूमि ख0नं0 321 रकबा 0.01 हेक्टर गैर मुमकिन रास्ता पर संवत 2077 में अतिक्रमण कर कब्जा करने बावत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 एल0आर0एक्ट0 का नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलार्थी ने दि0 28.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का जबाव पेश किया कि विवादित भूमि जो नोटिस में दर्शायी गई है, जिस पर अपीलार्थी का वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। जिसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव को नजरअन्दाज करते हुए मात्र पटवारी हल्का के बयान पर आगामी तारीख पेशी 02.02.2021 को प्रकरण का निस्तारण कर अपीलार्थी को दो माह के सिविल कारावास से दण्डित करने एवं लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित कर भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित कर दिए गये। जिसकी अपीलार्थी को कोई सूचना नही दी गई। अपीलार्थी को उक्त आदेश के संबंध में पुलिस थाने के कर्मचारियों के घर पहुँचने तथा परिवार के सदस्यों को अपीलार्थी के विरूद्ध जारी वारंट की सूचना देने पर दि0 28.11.2021 को सर्वप्रथम जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय गलत तथ्यों पर दिया गया है। मौके पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नही हैं न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पश्चातवर्ति अतिक्रमी मानते हुए निर्णय पारित किया गया है जबकि इस सन्दर्भ में पत्रावली में कोई साक्ष्य उपलब्ध नही हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (राज0मा0)

3. अपील मे अपीलार्थी ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर पारित किया गया है। जबकि पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव के बारे में कोई जांच नही की गई, वर्तमान में अपीलार्थी का मौके पर कोई कब्जा नही है।

4. अपील मे अपीलार्थी ने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नही थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया था जिस पर नायब तहसीलदार ने अपीलार्थी से कहा था कि अब तुम्हें आने की आवश्यकता नही हैं, दोबारा भूमि पर कब्जा मत करना। परन्तु अचानक दिनांक 28.11.2021 को पुलिस थाने के कर्मचारियों के अपीलार्थी के घर पहुँचकर उसके परिवार के सदस्यो को उसके विरूद्ध जारी वारंट की सूचना देने पर दि0 28.11.2021 को ही सर्वप्रथम जानकारी हुई।

5. अपीलार्थी ने कथन किया है कि पुलिस वालों द्वारा दिनांक 28.11.2021 को सूचना देने पर वह दि0 29.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में गया तथा उसके विरूद्ध पारित निर्णय की प्रतिलिपी के लिये आवेदन के साथ पेश किया, जिस पर दिनांक 29.11.2021 को उसको निर्णय की नकल मिली तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सम्पूर्ण जानकारी हुई, जिससे अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। ताहम धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र भी पेश किया जा रहा है।

6. अपील मे अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मु0नं0 111/2021 में पारित निर्णय दि0 02.02.2021 उनवानी मुकदमा सरकार बनाम कैलाश को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को न्याय दिलाया जावें।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही।

8. बहस अधिवक्ता अपीलार्थी सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा है कि अपीलार्थी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता केवल पटवारी रिपोर्ट को आधार मानकर बिना किसी जांच के अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जबकि वर्तमान मे उक्त भूमि पर उसका कोई कब्जा भी नही है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

9. हमने अपील एवं मिसल अधीनस्थ न्यायालय का अद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस पर भी पर सूक्ष्म रूप से मनन किया।

10. प्रार्थना पत्र तहत् धारा 5 मियाद अधिनियम को हम न्यायहित में स्वीकार करते है। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का भी समग्र अवलोकन किया। अपीलार्थी की अपील को इस शर्त पर स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयता को राजकोष में नियमानुसार जमा करवाए तथा इस आशय का शपथ पत्र नायब तहसीलदार, गंगापुर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (रा०भा०)

सिटी को पेश करेगा कि वह भविष्य में कभी किसी सरकारी भूमि या संपत्ति पर अतिक्रमण नही करेंगा। नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी स्वयं मौके पर जाकर यह तस्दीक करेगें कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। इस निर्णय के पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तों की पालना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी का निर्णय दिनांक 02.02.2021 सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावें अन्यथा कथित निर्णय अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः जीवित रहेगा।

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील को इस शर्त पर आंशिक स्वीकार किया जाता है कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयता को राजकोष में नियमानुसार जमा करवाएगा तथा इस आशय का शपथ पत्र नियमानुसार नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी को पेश करेगा कि वह भविष्य में कभी किसी सरकारी भूमि/संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करेगा। नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी स्वयं मौके पर जाकर यह तस्दीक करें कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। इस निर्णय को पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तों की पालना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी का निर्णय दिनांक 02.02.2021 सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावें अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः जीवित रहेगा।

निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 16.05.2022 को सरे इजलास सुनाया।

सत्यमेव जयते

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी